HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 1235/2019

Sitaram Bairwa S/o Shri Ramsahai Ji Bairwa

----Appellant

Versus

Ramsahai S/o Bheru

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Manak Chand Jain with Mr. Prayag Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Dipendra Singh for Mr. Gaurav Sharma

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

26/05/2025

अपीलार्थीगण की ओर से पृथक–पृथक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रमशः आई0ए0 01/2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0, आई0ए0 02/2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी., आई0ए0 03/2025, अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम की प्रकृति एवं तथ्यों को देखते हुए इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या–1/2 श्रीमती मंजूदेवी पत्नी श्री रामचन्द्र का देहान्त दिनांक 30.12.2024 को होने के कारण उनके विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लिया जावे तथा उनके विरूद्ध उपशमन कार्यवाही को अपास्त किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे।

अतः उक्त प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर, प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध की गई उपशमन कार्यवाही को अपास्त किया जाकर मृतक प्रत्यर्थी संख्या–1/2 श्रीमती मंजूदेवी पत्नी श्री रामचन्द्र के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर

लिये जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 प्रस्तुति में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी तद्नुसार संशोधित वादशीर्षक प्रस्तुत करें।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से संशोधित वाद शीर्षक पूर्व में ही पेश कर दिया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या–1/2 के विधिक वारिसान को नोटिस साधारण एवं रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट दोनों माध्यम से जारी किये जावें।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सात दिवस में प्रस्तुत करें।

पत्रावली आठ सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /66